फार्म अ 2

आवेदन-व-घोषणा फार्म

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

विदेशी मुद्रा आहरण के लिए आवेदन

I. आवेदक के ब्योरे -

(क) नाम _____

(ख) पता _____

(ग) खाता सं. _____

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें) _____

2. प्रयोजन _____

III. मैं आपके प्रभार के साथ मेरे बचत खाता/ चालू/ आरएफसी/ ईईएफसी खाता सं. _____ के नामे डालने के लिए आपको प्राधिकृत करता हूं और

*क) ड्राफ्ट जारी करें :हिताधिकारी का नाम _____

पता _____

*ख) विदेशी मुद्रा विप्रेषण सीधे भेजें -

1. हिताधिकारी का नाम _____
2. बैंक का नाम और पता _____
3. खाता सं. _____

*ग) _____ के लिए ट्रैवलर्स चेक जारी करें

*घ) _____ के लिए विदेशी मुद्रा जारी करें

- (जो लागू न हो उसे काट दें)

(हस्ताक्षर)

घोषणा

(फेमा 1999 के अंतर्गत)

मैं, _____ घोषित करता हूं कि -

*1) इस कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों के माध्यम से खरीदे गए अथवा भेजे गए विदेशी मुद्रा की कुल राशि इस आवेदन पत्र सहित उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक सीमा_____अमरीकीडॉलर(_____ _____ अमरीकी डॉलर मात्र) की सीमा के अंदर है।

*2) आपसे खरीदी गई विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए है।

- (जो लागू न हो उसे काट दें)

(घोषणा कर्ता के हस्ताक्षर)

नाम _____

दिनांक :

(प्रयोजन कूट पिछले पृष्ठ पर दिए गए हैं)

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

प्राधिकृत व्यापारी कूट सं. _____
फार्म सं._____
मुद्रा _____
राशि _____
रु. _____ _____के समतुल्य (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाए)

उचित प्रयोजन कोड के सामने टिक लगाएं (संदेह/ कठिनाई में ग्राहक/ भारिबैंक से संपर्क करें)

कूट		**प्रयोजन**
पूंजी खाता लेनदेन (00)		
एस0001		विदेश में भारतीय निवेश - इक्विटी पूंजी (शेयर) में
एस0002		विदेश में भारतीय निवेश - ऋण प्रतिभूतियों में
एस0003		विदेश में भारतीय निवेश - शाखाओं में
एस0004		विदेश में भारतीय निवेश - अनुषंगी और सहयोगी कंपनियों में
एस0005		विदेश में भारतीय निवेश - भूमि भवन में
एस0006		भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - ईक्विटी शेयरों में
एस0007		भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - ऋण प्रतिभूतियों में
एस0008		भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - भूमि भवन में
एस0009		भारत में विदेशी संविभाग निवेश का प्रत्यावर्तन - ईक्विटी शेयरों में
एस0010		भारत में विदेशी संविभाग निवेश का प्रत्यावर्तन - ऋण प्रतिभूतियों में
एस0011		अनिवासियों को दिए गए ऋण
एस0012		अनिवासियों से प्राप्त ऋण की चुकौती (दीर्घावधि और मध्यावधि ऋण)
एस0013		अनिवासियों से प्राप्त अल्पावधि ऋण की चुकौती
एस0014		अनिवासी जमा राशियों का प्रत्यावर्तन (एफसीएनआरबी/ एनआरईआरए, आदि)
एस0015		प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अपने ही खाते पर लिए गए ऋण और ओवरड्राफ्ट की चुकौती
एस0016		किसी और मुद्रा पर बेची गई विदेशी मुद्रा
एस0017		अगोचर आस्तियों जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड मार्क, आदि की खरीद

एस0018		कहीं और शामिल न किए गए अन्य पूंजी भुगतान
आयात (01)		
एस0101		आयातों पर अग्रिम भुगतान
एस0102		आयातों के लिए भुगतान - बीजक का निपटान
एस0103		राजनयिक मिशनों द्वारा आयात
एस0104		मध्यस्थ व्यापार
एस0190		500,00 रुपये से कम आयात (विदेशी मुद्रा विभाग कार्यालयों द्वारा उपयोग के लिए)
परिवहन (02)		
एस0201		भारत में परिचालन करनेवाली विदेशी शिपिंग कंपनियों द्वारा अतिरिक्त भाड़े/ यात्री किराए का भुगतान
एस0202		विदेश में परिचालन करनेवाली भारतीय शिपिंग कंपनियों के परिचालन खर्चे का भुगतान
एस0203		आयातों पर मालभाड़ा - शिपिंग कंपनियां
एस0204		निर्यातों पर मालभाड़ा - शिपिंग कंपनियां
एस0205		परिचालनात्मक लीजिंग (क्रू के साथ) - शिपिंग कंपनियां
एस0206		विदेश में यात्रा टिकट बुक करना - शिपिंग कंपनियां
एस0207		भारत में परिचालित विदेशी एअरलाइन्स कंपनियों द्वारा अतिरिक्त भाड़े/ यात्री किराए का भुगतान
एस0208		विदेश में परिचालित भारतीय एअरलाइन कंपनियों के परिचालन व्यय
एस0209		आयातों पर मालभाड़ा - एअरलाइन्स कंपनियां
एस0210		निर्यातों पर मालभाड़ा - एअरलाइन्स कंपनियां
एस0211		परिचालनात्मक लीज़िंग (क्रू के साथ) - एअरलाइन्स कंपनियां
एस0212		विदेश में यात्रा टिकट बुक करना - एअरलाइन्स कंपनियां
एस0213		अन्य परिवहन सेवाओं (जहाजी कुली, विलंब शुल्क, पोर्ट हैंडलिंग चार्जस, इत्यादि) का भुगतान
यात्रा (03)		
एस0301		कारबार यात्रा के लिए विप्रेषण
एस0302		मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू) के अंतर्गत यात्रा
एस0303		तीर्थयात्रा के लिए यात्रा
एस0304		चिकित्सा के लिए यात्रा
एस0305		शिक्षा के लिए यात्रा (फीस, हॉस्टल व्यय, आदि सहित)
एस0305		अन्य यात्राएं (अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड)

एस0306		अन्य यात्राएं (अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड)
संचार सेवा (04)		
एस0401		डाक सेवाएं
एस0402		कुरियर सेवाएं
एस0403		दूरसंचार सेवाएं
एस0404		सैटलाइट सेवाएं
विनिर्माण सेवा (05)		
एस0501		परियोजना स्थल पर माल के आयात सहित विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा परियोजनाओं का विनिर्माण
एस0502		विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कार्यान्वित परियोजनाओं के विनिर्माण आदि के लागत का भुगतान
बीमा सेवा (06)		
एस0601		जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान
एस0602		मालभाड़ा बीमा - वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित
एस0603		अन्य सामान्य बीमा प्रीमियम
एस0604		पुनर्बीमा प्रीमियम
एस0605		सहायक सेवाएं (बीमा कमीशन)
एस0606		दावों का निपटान
वित्तीय सेवाएं (07)		
एस0701		निवेश बैंकिंग के अलावे वित्तीय मध्यस्थता - बैंक प्रभार, वसूली प्रभार, साख पत्र प्रभार, वायदा करार को रद्द करना, वित्तीय लीज़िंग पर कमीशन, आदि
एस0702		निवेश बैंकिंग - दलाल, हामीदारी, कमीशन, आदि
एस0703		सहायक सेवाएं - परिचालन और विनियामक शुल्क, अभिरक्षण सेवाओं, डिपॉज़िटरी सेवाओं आदि पर प्रभार
कंप्यूटर और सूचना सेवा (08)		
एस0801		हार्डवेअर परामर्श कार्य
एस0802		सॉफ्टवेअर कार्यान्वयन/ परामर्श कार्य
एस0803		डाटाबेस, डाटा प्रोसेसिंग प्रभार
एस0804		कंप्यूटर ऑर सॉफ्टवेअर की मरम्मत और रखरखाव
एस0805		समाचार एजेंसी सेवाएं
एस0806		अन्य सूचना सेवाएं - समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि को ग्राहक शुल्क
रॉयल्टी और लाइसेंस फी (09)		
एस0901		विशेष विक्रय अधिकार सेवाएं-पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड मार्क, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज़, विशेष विक्रय अधिकार आदि
एस0902		लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से ऑरिजिनल अथवा प्रोटोटाइप उत्पाद

		(जैसे पांडुलिपि और फिल्म) के उपयोग करने के संबंध में भुगतान
अन्य (10)		
एस1001		वाणिज्यिक सेवाएं - निवल प्राप्तियां
एस1002		व्यापार संबंधी सेवाएं - निर्यात / आयात पर कमीशन
एस1003		चार्टर हायर सहित ऑपरेटिंग क्रू के बगैर परिचालनात्मक लीज़िंग सेवाएं (वित्तीय लीज़िंग से इतर)
एस1004		कानूनी सेवाएं
एस1005		लेखा, लेखा परीक्षा, बुक कीपिंग और कर परामर्श सेवाएं
एस1006		व्यापार और प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाएं
एस1007		विज्ञापन, व्यापार मेला, मार्केट रिसर्च और जनमत संग्रह सेवाएं
एस1008		शोध और विकास सेवाएं
एस1009		वास्तुकला, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी सेवाएं
एस1010		कृषि, खनन और ऑन-साइट प्रोसेसिंग सेवाएं - कीड़ा और बीमारियों से सुरक्षा और फसल उत्पादन में वृद्धि, वन उद्योग सेवाएं खनन सेवाएं जैसे अयस्क आदि का विश्लेषण
एस1011		विदेश स्थित कार्यालयों के रखरखाव के लिए भुगतान
एस1012		वितरण सेवाएं
एस1013		पर्यावरण सेवाएं
एस1019		अन्य सेवाएं जो कहीं भी शामिल नहीं है

व्यक्तिगत सांस्कृतिक मनोरंजक सेवाएं (11)		
एस1101		दृश्य-श्रव्य और संबंधित सेवाएं - चल चित्रों के निर्माण से संबंधित सेवाएं - चल चित्रों के निर्माण से संबंधित सेवाएं और संबद्ध फीस, किराया, अभिनेता, निर्माता निर्देशक द्वारा प्राप्त किराया शुल्क तथा वितरण अधिकारों के लिए शुल्क
एस1102		व्यक्तिगत, सांस्कृतिक सेवाएं जैसे संग्रहालय, पुस्तकालय, अभिलेखागार और खेल-कूद कार्यकलाप; विदेश में पत्राचार पाठ्यक्रम के शुल्क
सरकार - कहीं और शामिल न किया गया (12)		
एस1201		विदेश में भारतीय दूतावासों के रखरखाव
एस1202		विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में विप्रेषण
स्थानांतरण (13)		
एस1301		अनिवासियों की ओर से परिवार रखरखाव और बचत हेतु विप्रेषण
एस1302		व्यक्तिगत उपहार और दान के लिए विप्रेषण
एस1303		विदेश में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को दान के लिए विप्रेषण
एस1304		अन्य सरकारों और सरकारों द्वारा स्थापित धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान और दान के लिए विप्रेषण
एस1305		अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सरकार द्वारा अंशदान/ दान
एस1306		कर के भुगतान/ वापसी के लिए विप्रेषण

आय (14)		
एस1401		कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति
एस1402		अनिवासी जमा (एफसीएनआरबी/ एनआरईआरए/ एनआरएनआरडी/ एनआरएसआर, आदि) पर ब्याज के लिए विप्रेषण
एस1403		अनिवासियों द्वारा दिए गए ऋणों (एसटी/ एमटी/ एलटी ऋण)
एस1404		ऋण प्रतिभूतियों - डिबेंचर/ बांड/ एफआरएन आदि पर ब्याज के लिए विप्रेषण
एस1405		प्राधिकृत व्यापारियों के अपने खाते पर ब्याज (वॉस्त्रो खातेधारियों अथवा नॉस्त्रो खाते पर ओवरड्राफ्ट) के लिए विप्रेषण
एस1406		लाभ का प्रत्यावर्तन
एस1407		लाभांश के भुगतान/ प्रत्यावर्तन
अन्य (15)		
एस1501		निर्यातों के वजह से वापसी/ छूट/ बीजक मूल्य पर कटौती
एस1502		गलत प्रविष्टियों का उलटना, गैर-निर्यात के लिए विप्रेषित किए गए राशि की वापसी
एस1503		अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के लिए निवासियों द्वारा भुगतान
एस1504		निर्यात बिल की जोखिम परिणति/ को रद्द करना

संलग्नक - 3

निवासी व्यक्ति के लिए 200,000 अमरीकी डॉलर की उदारीकृत योजना के तहत विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवेदन-व-घोषणा (आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक के ब्योरे

क. नाम
ख. पता
ग. खाता सं.
घ. पैन सं.

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें)
2.प्रयोजन

III. निधियों का स्रोत

IV. लिखतों का प्रकार

ड्राफ्ट
प्रत्यक्ष विप्रेषण

V. . . . . वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)200.. में योजना के तहत किए गए प्रेषण के ब्योरे

तारीख _____ राशि _____

VI. हिताधिकारी के ब्योरे

1.नाम :

2.पता

3.देश

* 4.बैंक का नाम और पता

* 5.खाता सं.

*(*सिर्फ तभी आवश्यक है जब हिताधिकारी के बैंक खाते में प्रेषण सीधे जमा की जानी है)*

यह आपको प्राधिकृत करने के लिए है कि आप मेरे खाते के नाम डाले और विदेशी मुद्रा का प्रेषण करें/ उपर्युक्त ब्योरों के अनुसार ड्राफ्ट जारी करें (जो लागू न हों उसे काट दें)।

घोषणा

मैं . . . . . (नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि आवेदन की मद सं.V के

अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से अथवा के माध्यम से खरीदी गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि 200,000 अमरीकी डॉलर (दो लाख अमरीकी डॉलर मात्र) के अंदर है जो इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा है तथा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त प्रषण के लिए निधियों के स्रोत मेरे हैं और इसका उपयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रेषण अपात्र कंपनियों द्वारा/ को नहीं किया जा रहा है और कि प्रेषण योजना के तहत समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप हैं।

हस्ताक्षर :

प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और पदनाम

स्थान :

तारीख: प्राधिकृत शाखा का स्टाम्प और मोहर

संलग्नक - 4

आयकर अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत प्रेषण के लिए फार्म व आवेदन

1.आवेदक का नाम और पता और
कारोबार का मुख्य स्थान

2.मूल्यांकनकर्ता अधिकारी का नाम और
पता जिसके क्षेत्राधिकार में प्रेषक है

3.आवेदक का पैन नंबर

4.प्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता
तथा देश, जहां प्रेषण किया जाता है

5.प्रेषण की राशि और प्रकार

6.स्रोत पर कर कटौती की दर

7.अधिनियम/डीटीएए के प्रावधान का संदर्भ
जिसके तहत दर निर्धारित किया गया है

8. **प्रमाणपत्र**

(i) मैं/ हम ऊपर दर्शाए गए स्रोत पर कर कटौती के अनुसार उपर्युक्त प्रेषण करना चाहता हूं/ चाहते हैं। हमने मेसर्स _____ से जो आयकर अधिनियम की धारा 288 में दी गई परिभाषा के अनुसार एक लेखाकार है, स्रोत पर कर कटौती की राशि, प्रकार और विशुद्धता को अभिप्रमाणित करनेवाला एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

(ii) यदि आयकर प्राधिकारी किसी समय यह पाता है कि प्रेषण की राशि पर वास्तव में कटौती योग्य कर का या तो भुगतान नहीं किया गया है या पूरा भुगतान नहीं किया गया है, मैं/ हम देय ब्याज के साथ टैक्स की उक्त राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

(iii) मैं / हम आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त चूक के लिए दंड के प्रावधानों के अधीन भी होंगे।

(iv) मैं/ हम उपर्युक्त प्रेषण के हिताधिकारी की आय के प्रकार और राशि के निर्धारण के लिए आयकर अधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ और स्रोत पर कर कटौती के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आयकर अधिनियम के तहत हमारी देयता निर्धारित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का वचन देता हूं/ देते हैं।

(v) उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य है और कोई भी संबंधित सूचना छिपाई नहीं गई है।

नाम और हस्ताक्षर

[प्रेषण करनेवाले व्यक्ति के आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 139(अ) के प्रावधानों के अनुसार) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए]

<u>प्रमाणपत्र</u>

मैंने/ हमने उपर्युक्त प्रेषण की अपेक्षा रखलेवाले मेसर्स (हिताधिकारी) _____ (प्रेषणकर्ता)और मेसर्स _____(हिताधिकारी) के बीच हुए करार (जहां कहीं लागू हो) और प्रेषण के स्वरूप का पता लगाने एवं धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर निर्धारित करने के लिए संबंधित दस्तावेज और लेखा बहियों की जांच की है। हम एतद्द्वारा निम्नप्रकार प्रमाणित करते हैं कि :

1. प्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता एवं उस देश का नाम जिसको प्रेषण किया जा रहा है।
2. प्रस्तावित तारीख/ माह और बैंक, जिसके माध्यम से प्रेषण किया जा रहा है, को दर्शाते हुए विदेशी मुद्रा में प्रेषण राशि।

3. स्रोत पर काटे गए करके ब्योरे, दर जिस पर कर कटौती की गई है और कटौती की तारीख।

	विदेशी मुद्रा	भारतीय@ मुद्रा
प्रेषित की जानेवाली राशि		
स्रोत पर की गई कर कटौती		
प्रेषित वास्तविक राशि दर जिस पर कटौती की गई		
कटौती की तारीख		

4. उपर्युक्त (2) के अनुसार प्रेषण के मामले में क्या देय कर का समग्र योग किया गया है? यदि हां, तो उसकी संणना बताएं।

5. तकनीकी सेवाओं, ब्याज, लाभांश आदि के लिए रॉयल्टी फीस हेतु प्रेषण की स्थिति में संबंधित डीटीएए की धारा जिसके तहत प्रेषण को सुरक्षा दी जाती है, के साथ कारण और दर जिस पर डीटीएस को लागू ऐसी धारा के अनुसार कर की कटौती अपेक्षित है।

6. यदि डीटीएए के तहत निर्धारित दर से कम पर कर कटौती की गई है तो उसका कारण।
7. वस्तुओं अथवा सामान (अर्थात् संयंत्र, मशीनरी,

उपकरण, आदि) अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों की आपूर्ति के लिए प्रेषण है तो कृपया बताएं :-

(i) क्या भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषण का ,हिताधिकारी वस्तुओं अथवा सामान की आपूर्ति जैसे क्रियाकलाप करता है?

(ii)क्या ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान को ऐसे प्रेषण दिए जा सकते हैं अथवा उससे संबंधित किए जा सकते हैं?

(iii)यदि हां तो, ऐसे प्रेषणों में शामिल आय की राशि कर के अधीन है।

(iv)यदि नहीं तो, उसके कारण

8. यदि प्रेषण कारोबारी आय के कारण है तो कृपया दर्शाएं :

(i) क्या ऐसी आय भारत में कर के अधीन है?

(ii)यदि हां, कर की कटौती दर की गणना का आधार

(iii)यदि नहीं तो उसके कारण

9. किन्हीं अन्य कारण से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाती है तो उसका कारण बताएं।

(जहां कहीं आवश्यक हो विधिवत अधिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें)

नाम, पता और पंजीकरण संख्या

(आयकर अधिनियम की धारा 288 में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाए।)

** * * * * * * * * * * * * * * *

संलग्नक - 5

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए-1.7)

फार्मेट

31 दिसंबर 200 की स्थिति-अंतराष्ट्रीय डेविट कार्डों की एक कैलेंडर वर्ष में 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा की खपत के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

बैं का नाम :

खाता धारक का नाम	राशि(रु.)		टिप्पणी
	नकद आहरित	व्याापारिक संस्थानों में प्रयुक्त	

हस्ताक्षर :
नाम व पदनाम
दिनांक :
मुहर

संलग्नक -6

भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण/ प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

क्रमांक	विवरण	अवधिकता	संदर्भ सं.	
1.	अंतराष्ट्रीय डेविट कार्डों की एक कैलेंडर वर्ष में 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक. विदेशी मुद्रा की खपत के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण	वार्षिक (31 दिसंबर ---------- को)	14 जून 2005 का एपी.(डीआईआरसिरीज) परिपत्र सं. 46	
2.	निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना	मासिक	4 अप्रैल 2008 का एपी.(डीआई आरसिरीज) परिपत्र सं. 36	

अनुबंध-7

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए कार्य संचालन हेतु अनुदेश

भारत से विविध प्रेषणों पर मास्टर परिपत्र- निवासियों के लिए सुविधाएं	
1. सामान्य	प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अधीन जारी प्रावधानों/विनियमों/अधिसूचनाओं का भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिये ।
	भारतीय रिजर्व बैंक वे कोई दस्तावेज निर्धारित नहीं करेगा जिनके आधार पर प्राधिकृत व्यापारी विभिन्न लेनदेन , विशेषकर चालू खाते के लेनदेनों की अनुमति देते समय उनका सत्यापन करना चाहिए ।
	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 10 की उप-धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा का कोई लेनदेन करने से पहले प्राधिकृत व्यापारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति से जिसके लिए वह विदेशी मुद्रा का लेनदेन कर रहा है , से इस आशय का अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य घोषणापत्र ले ले कि यह लेनदेन ऐसा नहीं है जिससे कि इस अधिनियम के अधीन जारी किन्हीं प्रावधानों अथवा नियमों अथवा किसी विनियमों अथवा अधिसूचनाओं अथवा निर्देशों अथवा आदेशों का उल्लघन होता है और इससे वह स्वयं भी संतुष्ट हो । प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा का कोई भी लेनदेन करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए आवदेक से जानकारी/ दस्तावेज प्राप्त करके अपने पास रख लेना चाहिए ।
	यदि कोई व्यक्ति , जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है और वह प्राधिकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं का संतोषजनक अनुपालन नहीं करता अथवा मना करता है , उस स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन करने से लिखित रूप में मना कर देगा । जहाँ पर प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि लेनदेन के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी प्रावधानों अथवा नियमों अथवा किसी विनियमों अथवा अधिसूचनाओं अथवा निर्देशों अथवा आदेशों के अनुपालन में को टाल-मटोल अथवा उनका उल्लघन अपेक्षित था जिसके कारण उसे पूरा करने से मना किया है तो प्राधिकृत व्यापारी इसे भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करेगा ।
	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 10 की उप-धारा 5 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक समान पद्धति अपनाने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी अपनी शाखाओं से प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेजों / अपेक्षाएं तय करने पर विचार कर सकते हैं।

	विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 के अनुसार, इसकी अनुसूची -I सम्मिलित लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण रूप से निषिद्ध है।
	प्राधिकृत व्यापारी अनुसूची II में शामिल लेनदेनों के लिए के लिए विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं बशते कि आवेदक ने लेनदेनों के लिए उसमें यथानिर्दिष्ट भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/ विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया हो ।
	अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के संबंध में , विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक अथवा अनुसूची III में शामिल अन्य लेनदेनों के लिए , जिनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है , भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। तथापि, निवासी व्यक्ति के पास विकल्प है कि वह अतिरिक्त राशि प्रेषण के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना का उपभोग कर ले बशर्ते कि वह इस योजना के नियम व शर्तें पूरी करता हो।
	अन्य चालू खाते के लेनदेनों , जो कि विशेष रूप से विनियमावली के अंतर्गत निषिद्ध अथवा अनुसूची II अथवा अनुसूची III में शामिल नहीं हैं , अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 5 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन बिना किसी मौद्रिक/प्रतिशत की सीमा के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अनुमति दी जा सकती है । अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के लिए उनकी निर्धारित सीमा तक प्रेषण की अनुमति दी जा सकती है । अनिवासियों के लिए प्रेषक से एक वचनपत्र और सनदी लेखाकार से केंद्रीय बोर्ड , प्रत्यक्ष कर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 09 अक्तूबर 2002 के परिपत्र सं. 10/ 2002 में दिये गये फार्मेट्स में एक प्रमाणपत्र लेकर प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रेषण की अनुमति दी जाती है । (संदर्भ: 26 नवंबर 2002 का हमारा एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.56)
2.घोषणा के आधार पर विदेशी मुद्रा जारी करना	प्राधिकृत व्यापारी निम्नलिखित प्रयोजनों में से प्रत्येक के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर तक प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :- (i) विदेश में रोजगार (ii) उत्प्रवासन (iii) विदेश में रहने वाले निकट संबंधियों का भरण-पोषण (iv) विदेश में शिक्षा (v) इलाज के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जोर दिये बिना, किंतु लेनदेन के मूल ब्योरे देते हुए आवेदक की घोषणा के आधार पर और फार्म ए-2 में आवदेनपत्र प्रस्तुत करने पर विदेश में कराये जाने वाले इलाज के लिए । प्राधिकृत व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान चेक/बैंक ड्राफ्ट से /अथवा उसके खाते को डेबिट करके किया जाये । इसके अतिरिक्त , एक वित्तीय वर्ष में एक अथवा अधिक अपनी निजी विदेश यात्राओं (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 10,000 अमरीकी डॉलर अथवा

	समतुल्य तक विदेशी मुद्रा जारी करने की ,घोषणा के आधार पर , वर्तमान सुविधा उपलब्ध रहेगी ।
3. कम मूल्य के प्रेषण	प्राधिकृत व्यापारी, **5,000** अमरीकी डॉलर अथवा समतुल्य तक के स्वीकार्य सभी चालू खाता लेनदेनों के लिए आवेदक से संलग्नक -2 मे यथानिर्दिष्ट एक सरलीकृत आवदेनपत्र एवं घोषणा फार्म (फार्म ए-2) लेकर विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं ।

4. उदारीकृत प्रेषण योजना	इस योजना के तहत निवासी व्यक्तियों को अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेन अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए प्रेषण उपलब्ध है । यह इस योजना के तहत उपलब्ध सुविधा विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की अनुसूची-III में पहले से उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त है । दान और उपहारों से संबंधित प्रेषण इस योजना में सम्मिलित हैं। इस योजना के तहत,निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर प्रेषण के लिए भारत से बाहर अचल संपत्ति अथवा शेयर (सूचीबध्द अथवा अन्यथा) कोई अन्य परिसंपत्ति अधिग्रहण कर सकते हैं और रख सकते हैं।वे रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत से बाहर स्थित बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता भी खोल सकते हैं, रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र प्रेषणों से होनेवाले अथवा उससे संबंधित सभी लेनदेनों को रखने के लिए विदेशी मुद्रा खाते का उपयोग किया जा सकता है। तथापि,योजना के तहत, भारत से समुद्रपारीय मंडियों/समुद्रपारीय काउंटरपार्टियों को मार्जिन अथवा मार्जिन काल्स के लिए प्रेषण अनुमत नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए यह अपेक्षित है कि अपने वह प्राधिकृत व्यापारी की शाखा को नामित करे जिसके जरिये इस योजना के तहत सभी लेनदेन किये जायेंगे । किसी निवासी व्यक्ति को यह सुविधा प्रदान करते समय प्राधिकृत व्यापारियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे सुनिश्चित करें कि बैंक खातों के संबंध में **"अपने ग्राहक को जानिए "** विषय पर जारी दिशा-निर्देशों को लागू किया गया है । उन्हें इस सुविधा की अनुमति प्रदान करते समय लागू **काला धन शोधन विरोधक नियमों** का भी अनुपालन करना चाहिए। आवेदक के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रेषण से कम से कम एक वर्ष पूर्व किसी बैंक में अपना बैंक खाता रखे । यदि आवेदक, प्रेषण के उद्देश्य से बैंक का नया ग्राहक हो तो , प्राधिकृत व्यापारी उसके द्वारा खाता खोलने, खाते के परिचालन तथा उसे बनाये रखने के प्रति काफी सतर्कता बरते । इसके अतिरिक्त ,प्राधिकृत व्यापारियों को आवेदक के आय के स्त्रोतों के संबंध में अपनी संतुष्टि के लिए पिछले वर्ष का बैंक विवरण प्राप्त करना चाहिए । यदि ऐसा विवरण नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में आयकर मूल्यांकन आदेश अथवा आवेदक द्वारा फाइल किया गया अद्यतन आयकर विवरण की प्रतियां प्राप्त की जायें । प्राधिकृत व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि प्रेषण के इच्छुक व्यक्ति से प्राप्त भुगतान उसके धन से आवेदक के खाते पर आहरित चेक/बैंक ड्राफ्ट से /अथवा उसके खाते को डेबिट करके /अथवा भुगतान आदेश के जरिये प्राप्त किया जाये । इसके अतिरिक्त , यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के तहत,प्रेषण सुगम बनाने हेतु बैंको द्वारा निवासी व्यक्तियों को कोई क्रेडिट सुविधा नही दी जानी चाहिए। इस योजना के तहत किये जाने वाले प्रेषण आर- विवरणी में यथासमय रिपोर्ट किये जायेंगे । प्राधिकृत व्यापारी भी **5000** अमरीकी डॉलर से अधिक के प्रेषणों से संबंधित डम्मी फार्म ए-2 तैयार करें । इसके अतिरिक्त , प्राधिकृत व्यापारी आवेदकों की संख्या तथा भी योजना के तहत भेजी गयी राशि की जानकारी **मासिक आधार** पर भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, (ईपीडी) केंद्रीय कार्यालय , मुंबई को भी प्रेषित करें ।

अनुबंध-8

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए-13.9)

(4 अप्रैल 2008 का एपी.(डीआई आरसिरीज) परिपत्र सं. 36)

फार्मेट

उदारीकृत प्रेषण योजना के अधीन निवासी व्यक्तियों द्वारा --------को

समाप्त माह में भेजे गये प्रेषणों के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम :

क्रमांक	प्रेषण का उद्देयश्य	आवेदकों की संख्या	अमरीकी डॉलर में प्रेषणों की राशि
1.	जमा		
2.	अचल संपत्ति की खरीद		
3.	इक्विटी/डेट में निवेश		
4.	उपहार		
5.	दान		
6.	अन्य		
कुल			

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनाम :
स्थान :
हस्ताक्षर :

दिनांक:
स्टैंप तथा मुहर

परिशिष्ट

इस मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची नीचे है ।

भारत से विविध प्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं

क्र.	परिपत्र सं.	तारीख
1.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	जून 1, 2000
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	अक्तूबर 30, 2000
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	नवंबर 16, 2000
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	नवंबर 13, 2000
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	नवंबर 23, 2000
6.	ईसी.सीओएफएमडी.599/18.08.01/2001-02	जनवरी 21, 2002
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	जून 27, 2002
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	सितंबर 12, 2002
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	सितंबर 12, 2002
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	नवंबर 1, 2002
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	नवंबर 18, 2002
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	नवंबर 23, 2002
13.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	नवंबर 25, 2002
14.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56	नवंबर 26, 2002
15.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	दिसंबर 24, 2002
16.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	जनवरी 6, 2003
17.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	जनवरी 24, 2003
18.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.103	मई 21, 2003
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.3	जुलाई 17, 2003
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.7	अगस्त 12, 2003
21.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8	अगस्त 16, 2003
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	नवंबर 13, 2003
23.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.55	दिसंबर 23, 2003
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	फरवरी 4, 2004
25.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.71	फरवरी 20, 2004
26.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.76	फरवरी 24, 2004

27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.77	मार्च 13, 2004
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.86	अप्रैल 17, 2004
29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.90	मई 3, 2004
30.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	अक्तूबर 25, 2004
31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	मार्च 31, 2005
32.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	जून 14, 2005
33.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	मार्च 6, 2006
34.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	नवंबर 17, 2006
35.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	नवंबर 28, 2006
36.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	दिसंबर 20, 2006
37.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	मई 18, 2007
38.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	सितंबर 26, 2007
	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	अप्रैल 9, 2006
	विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली 2000	मई 3, 2000 (और बाद के संशोधन)

परिशिष्ट-2

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 5

चालू खाता लेनदेन

चालू खाता लेनदेन होने पर , कोई व्यक्ति किसी प्राधिकृत व्यक्ति को अथवा प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा बेच अथवा आहरण कर सकता है ।

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार रिज़र्व बैंक के परामर्श से जनहित में , यथानिर्धारित , चालू खाता लेनदेनों के लिए ऐसा कोई समुचित प्रतिबंध लागू करे । **(मास्टर परिपत्र का पैरा 1.1)**

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन)नियमावली 2000 का नियम 3

विदेशी मुद्रा के आहरण पर निषेध - किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण निषिद्ध है: अर्थात् :

(क) अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट लेनदेन;

(ख) नेपाल और / अथवा भूटान की यात्रा ;

(ग) नेपाल और/अथवा भूटान के निवासियों के साथ लेनदेनों के लिए; बशर्ते कि इन शर्तों व नियमों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जैसा आवश्यकसमझा जाये, एक विशेष अथवा सामान्य आदेश पारित करके खंड (ग) से छूट दे दी जाये । **(मास्टर परिपत्र का पैरा 1.4)**

3. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 10 की उप धारा (5)

किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा के लेनदेन करने से पहले प्राधिकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा होगी कि वह व्यक्ति एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करे और ऐसी सूचना दे जो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट कर सके कि लेनदेन किसी अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत जारी किसी नियम, अधिनियम, अधिसूचना निदेश अथवा आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन अथवा उससे बचने के प्रयोजन से नहीं किया गया है और जहाँ उक्त व्यक्ति ऐसा करने से मना करता हो अथवा संतोषजनक अनुपालन न करता हो , प्राधिकृत व्यक्ति लिखित रूप में उसका लेनदेन करने से मना कर देगा और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई उल्लघन अथवा उससे बचने प्रयास किया जा रहा है तो इसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाये ।**(मास्टर परिपत्र का पैरा 14.1)**